न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/601

1. रामनिवास
2. बाबूलाल
3. रामकिशन
4. सत्यनारायण पिसरान भंवर लाल जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम महराणा तहसील व जिला बून्दी ।
5. श्रीमती इन्द्रा बाई पुत्री श्री भंवर लाल पत्नी श्री रघुवीर जी जाति ब्राह्मण निवासी सावनभादों तहसील व जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. मूर्ति मंदिर श्री मुरलीधर जी (कृष्ण भगवान) महाराज ग्राम महराणा तहसील व जिला बून्दी जरिये तथाकथित संरक्षक तथाकथित व्यवस्थापक प्रतिनिधि ग्रामवासियान महराणा तहसील व जिला बून्दी ।
2. लक्ष्मीनारायण आत्मज ऊदा जी जाति मीणा निवासी ग्राम महराणा तहसील व जिला बून्दी ।
3. बिरधी लाल आत्मज गोविन्दा जाति मीणा निवासी ग्राम महराणा तहसील व जिला बून्दी।
4. रामचन्द्र आत्मज कालू जी जाति मीणा निवासी ग्राम महराणा तहसील व जिला बून्दी।
5. मोहन लाल आत्मज राधा जी जाति मीणा निवासी ग्राम महराणा तहसील व जिला बून्दी।
6. माधोलाल आत्मज गेन्दा लाल जाति मीणा निवासी ग्राम महराणा तहसील व जिला बून्दी
7. सूरज मल आत्मज नाथू जी जाति प्रजापत निवासी ग्राम महराणा तहसील व जिला बून्दी
8. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, बून्दी जिला बून्दी ।
9. यूनाइटेड कमर्शिल बैंक कोटा जरिये मैनेजर साहब, कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री अशोक गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट्स की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 16.07.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 7 ने अधीनस्थ न्यायलाय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183, 88 एवं 89 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम महराना तहसील बून्दी में उस समय खसरा नम्बर 204 रकबा 09 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 205 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 318 की 08 बिस्वा कुल 03 किता की 25 बीघा 05 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि मंदिर श्री मुरलीधर जी स्थान देह जरिये पुजारी रामचन्द्र वल्द गोपाल ब्राह्मण खडेरवाल सा0 देह माफी देवस्थान बिला चौथान दर्ज थी । सेटलमेंट ने उक्त भूमि के नवीन खसरा नम्बर 208 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 209 रकबा 09 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 623 रकबा 08 बिस्वा कायम करते हुए उक्त भूमि मृतक पुजारी रामचन्द्र के स्थान पर उसके पुत्र मन्ना के नाम दर्ज कर दी । सेटलमेंट विभाग को बिना किसी कानूनी अधिकार के मूर्ति मंदिर श्री मुरलीधर जी महाराज के खाते की भूमि को पुराजी अथवा किसी भी अन्य व्यक्ति के नाम व्यक्तिगत रूप से खाते में दर्ज करने का अधिकार नहीं है । प्रतिवादीगण उक्त भूमि को अवैध रूप से अपने नाम दर्ज करवाकर उक्त भूमि के स्वामी बन बैठे हैं । मंदिर मूर्ति की सेवा पूजा भोग आदि के लिये वादग्रस्त आराजी को माफी देवस्थान के रूप में रखा गया था वह कार्य प्रतिवादी क्रम 1 से 5 के द्वारा नहीं किया जा सकता है । मूर्ति मंदिर की सेवा पूजा, तेल भोग का कार्य वादीगण ग्राम वासियान द्वारा किया जा रहा है । पिछले वर्षों में की गई केचमेंट प्रक्रिया में सवंत् 2028 से 2047 के खसरा नम्बर 208 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 209 रकबा 09 बीघा 19 बिस्वा के केचमेंट के नवीन खसरा नम्बर 1162 रकबा 36 बीघा 11 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1239 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा में शामिल करके पहले भंवरलाल वल्द मन्ना लाल के नाम से उसके खाते में तथा भंवर लाल की मृत्यु के पश्चात् उसके पुत्र–पुत्रियों के नाम खाते में दर्ज किया जा चुका है ।

3. अतः वादग्रस्त आराजी बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 208 रकबा 14 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 209 रकबा 09 बीघा 19 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 623 रकबा 08 बिस्वा जिसके नवीन केचमेंट नम्बर 1162 रकबा 36 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 1239 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा में शामिल कर दिया गया तथा खसरा नम्बर 623 की 08 बिस्वा को प्रतिवादीगण के खाते में से हटा कर वादी मूर्ति मंदिर श्री मुरलीधर जी महाराज ग्राम हराना के नाम से उनके खाते दर्ज किया जावे । प्रतिवादीगण का 25 बीघा 05 बिस्वा पर से अतिक्रमण हटाया जाकर वादीगण को उस पर कब्जा दिलाया जावे ।

4. प्रतिवादीगण ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10.2018 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10.2018 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय से वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण अपीलान्ट को मौके से बेदखल कर कब्जा वादीगण रेस्पोडेन्ट को सुपुर्द करने का तथा रिसीवर की जमाशुदा राशि वादीगण रेस्पोडेन्ट को सुपुर्द किये जाने का तथा उक्त राशि को वादी मंदिर मूर्ति के भोग, तेल एवं पूजा कार्य के उपयोग में लेने का निर्णय एवं डिक्री पारित करने में त्रुटि की है।

मंदिर मूर्ति के व्यवस्थापक एवं प्रतिनिधि वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 2 से 7 नहीं हैं । ग्रामवासियान की कोई लीगल एन्टीटी नहीं है । वादीगण कम 2 से 7 को मंदिर मूर्ति की ओर से दावा लाने का कोई अधिकार नहीं है । मंदिर श्री मुरलीधर जी महाराज मीणा समाज का नहीं है जबकि वादीगण कम 2 से 6 मीणा समाज के व्यक्ति हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 01 नियम 08 सीपीसी के प्रावधानों की पालना नहीं की है । उक्त भूमि पर अपीलान्ट के पूर्वजों एवं अपीलान्ट का पिछले 200 वर्षों से वैधानिक रूप से निरन्तर कब्जा रहा है । मूर्ति मंदिर की सेवा पूजा एवं मंदिर की समस्त व्यवस्था अपीलान्ट के पूर्वज एंव उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण अपीलान्ट निरन्तर करते चले आ रहे हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 से 7 के द्वारा प्रस्तुत दावा बाबत् हक घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं बेदखल आराजी पूर्ण डिक्री किया है । वादग्रस्त आराजी ग्राम महराना तहसील एवं जिला बून्दी में स्थित है । वादी द्वारा मूर्ति मंदिर श्री मुरलीधर जी महाराज को खातेदार घोषित कर अपीलान्ट को मौके से बेदखल कर कब्जा सुपुर्द करने और रिसीवर की राशि रेस्पोडेन्ट वादी को सुपुर्द करने के लिए यह दावा पेश किया था जो डिक्री किया गया है । वादी संख्या 1 के सरंक्षक एवं व्यवस्थापक रेस्पोडेन्ट कम 2 से 7 नहीं हैं । ग्रामवासियान नाम की कोई लीगल एन्टीटी नहीं है । वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 2 से 7 को मंदिर मूर्ति की ओर से दावा लाने का कोई अधिकार नहीं है । दावा पोषनीय नहीं है फिर भी डिक्री किया है । मूर्ति मंदिर श्री मुरलीधर जी महाराज मीणा समाज का मंदिर नहीं है । रेस्पोडेन्ट कम 2 से 7 ने उक्त भूमि को हडपने की नीयत से दावा पेश किया है । आदेश 01 नियम 8 सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हैं । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट एवं पूर्वजों का 200 वर्षों से कब्जा है और वो ही मूर्ति मंदिर की सेवा पूजा व्यवस्था करते हैं । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 और जागीर एक्टर 1952 के प्रभावशील होने के पूर्व से ही अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त हैं । अपीलान्ट अतिक्रमी नहीं है वरन् विधिक रूप से काबिज हैं । तनकीयात का निर्णय विधि सम्मत रूप से नहीं किया है । आराजी मूर्ति मंदिर की नहीं है वरन् अपीलान्टगण की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10.2018 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में एआईआर 1973 (इलाहबाद) पेज 282 उद्धरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी मूर्ति मंदिर के खाते की है । जमाबन्दी जो पेश की गई है उनमें आराजी मूर्ति मंदिर जरिये पुजारी खाते में दर्ज थी । प्रतिवादी अपीलान्ट को कोई अधिकार मूर्ति मंदिर के खाते की आराजी को अपने नाम दर्ज कराने का नहीं है । मूर्ति मंदिर शास्वत नाबालिग होते हैं जिनके खाते की आराजी किसी भी व्यक्ति के नाम दर्ज नहीं की जा सकती । वादीगण ग्रामवासी हैं और मूर्ति मंदिर के नेक्स्ट फ्रेण्ड की हैसियत से उन्हें दावा पेश करने का अधिकार है । सीपीसी के आदेश 01 नियम 08 की पालना की गई है । न्यायालय के द्वारा नोटिस जारी करके अनुमति दी थी ।

वादीगण के द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश की है जिसका खण्डन नहीं हो पाया है । सेटलमेंट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि मूर्ति मंदिर के खाते की आराजी को किसी व्यक्ति के खाते में दर्ज करे । अपीलान्ट का आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र भी खारिज हो चुका है । न्यायालय के द्वारा आदेश 01 नियम 08 सीपीसी की पालना की गई है । समाचार पत्र से नाटिस प्रकाशित किया गया है जो प्रदर्श– 13 के रूप में पत्रावली पर संलग्न है और न्यायालय की आदेशिका दिनांक 01.06.2010 के अनुसार इस हेतु स्वीकृति भी जारी की गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा डिक्री किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 31.10.2018 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे 2008 (1) पेज 285 उद्धरत की ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में वादी की ओर से जो दस्तावेज पेश किये गये हैं उनमें राजस्व (ग्रुप–6) विभाग का परिपत्र प्रदर्श– 1, नकल जमाबन्दी संवत् 1994 से 2000 प्रदर्श– 2 जिसमें वादग्रस्त आराजी मूर्ति मंदिर श्री मुरलीधर जी महाराज के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2020–23 प्रदर्श– 3 जिसमें आराजी मूर्ति मंदिर श्री मुरलीधर जी महाराज के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग प्रदर्श– 4 जिसमें कॉलम संख्या 23 में कृषक के रूप में मूर्ति मंदिर श्री मुरलीधर जी महाराज दर्ज है और कॉलम संख्या 24 में मन्ना लाल का नाम दर्ज है । नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग प्रदर्श– 5 एवं 6 में से इसी अनुसार इन्द्राज हैं । प्रदर्श– 7 मिलान क्षेत्रफल की प्रति है, प्रदर्श– 8 नकल जमाबन्दी सवंत् 2028–47 है जिसमें वादग्रस्त आराजी मन्ना वल्द रामचन्द्र के खाते में दर्ज की गई है इसमें खसरा नम्बर 208, 209 और 623 की आराजी के अलावा खसरा नम्बर 205, 240 और 617 की आराजी भी मन्ना वल्द रामचन्द्र के खाते में दर्ज है । प्रदर्श– 9 नकल जमाबन्दी संवत् 2023–26 है जिसमें मन्ना लाल वल्द भंवर लाल के खाते में खसरा नम्बर 1239 और 1162 की 38 बीघा 14 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 617 और 623 की 14 बिस्वा आराजी दर्ज है । प्रदर्श– 10 नकल जमाबन्दी संवत् 2058–62 है जिसमें रामनिवास, बाबूलाल आदि के नाम खाते में 07 किता की 58 बीघा 11 बिस्वा आराजी दर्ज है । अलोटमेंट सूची केचमेंट ग्राम देहित एवं महराना प्रदर्श– 12, समचार पत्र की प्रति प्रदर्श– 13 संलग्न हैं ।

11. वादी की ओर से बयार परमानन्द मीणा, बिरधीलाल के कराये गये हैं ।

12. प्रतिवादी की ओर से बयान रामकिशन, सत्यनारायण, तुलसीराम कराये गये हैं ।

13. पत्रावली में संलग्न दस्तावेज प्रदर्श– 12 के अनुसार केचमेंट में साबिक खसरा नम्बर 189, 205, 208, 209 और 240 की 40 बीघा 19 बिस्वा आराजी के हाल खसरा नम्बर 1162, 1239 कायम कर रकबा 38 बीघा 14 बिस्वा कायम किये गये हैं और 02 बीघा 05 बिस्वा आराजी ड्रेन में गयी है । पत्रावली पर जो नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 2 एवं 3 संलग्न हैं उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी मूर्ति मंदिर श्री मुरलीधर जी महाराज के खाते की है और सेटलमेंट विभाग ने त्रुटिपूर्ण रूप से मन्ना वल्द रामचन्द्र कौम ब्राह्मण के खाते में दर्ज कर दी है । सेटलमेंट विभाग को इस प्रकार मूर्ति मंदिर के खाते की आराजी को पुजारी के खाते में दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था । सेटलमेंट विभाग का यह इन्द्राज विधि–विरूद्ध है । वादग्रस्त आराजी मूर्ति मंदिर के खाते दर्ज होने योग्य है ।

14. विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के इस तर्क से हम सहमत नहीं हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 01 नियम 08 सीपीसी की पालना नहीं हुई है । पत्रावली में संलग्न दस्तावेज प्रदर्श– 13 के अनुसार आदेश 01 नियम 08 सीपीसी के तहत नोटिस समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया है और अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भी आदेशिका दिनांक 01.06.2010 के द्वारा इसकी अनुमति प्रदान की गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम की थीं जिन पर हम संक्षिप्त में विवेचन किया जाना उचित समझते हैं :–

1. तनकी नं0 01 :– **आया विवादित कृषि भूमि विस्थित ग्राम महराना तहसील तालेडा की भूमि खसरा संख्या 208 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 209 रकबा 09 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 623 रकबा 08 बिस्वा को वादीगण प्रतिवादीगण के खाते से मूर्ति मंदिर श्री मुरलीधर जी महाराज ग्राम महराना के नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी हैं** :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है । वादग्रस्त आराजी सेटलमेंट से पूर्व नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 2 और 3 के अनुसार मूर्ति मंदिर श्री मुरलीधर जी महाराज के खाते में दर्ज थी । सेटलमेंट विभाग को आराजी को प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था । आराजी मूर्ति मंदिर के खाते दर्ज होने योग्य है क्योंकि मूर्ति मंदिर के खाते की आराजी किस पुजारी के खाते में दर्ज नहीं की जा सकती । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से इस तनकी को वादीगण के पक्ष में तय किया है ।

2. तनकी नं0 02 :– **आया वादीगण मूर्ति मंदिर श्री मुरलीधर मजाराज ग्राम महराना के प्रतिनिधि की हैसियत से प्रतिवादीगण का अतिक्रमण हटवाकर विवादित भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है** :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है । वादीगण की ओर से उनके नेक्स्ट फ्रेण्ड की हैसियत से दावा पेश किया है ग्रामवासी मूर्ति मंदिर की ओर से दावा पेश कर सकते हैं । आदेश 01 नियम 08 सीपीसी के तहत भी परीक्षण न्यायालय से अनुमति ली गई है । जहॉ तक कब्जे का प्रश्न है वादीगण के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित हो कि मूर्ति मंदिर की व्यवस्था हेतु उनके द्वारा कोई ट्रस्ट बनाया गया है एवं ट्रस्ट देवस्थान विभाग से पंजीकृत करवाया हो । ऐसी स्थिति में इस वादग्रस्त आराजी का कब्जा वादीगण को दिये जाने के स्थान पर *राज्य सरकार प्रशासनिक सुधार (अनु–3) विभाग के आदेश कमांक प.6(17)प्र.सु./अनु. 3/2002* जयपुर दिनांक 07.12.2009 के निर्देशानुसार उपखण्ड अधिकारी, तालेडा की अध्यक्षता में गठित कमेटी को दिया जाना उचित समझते हैं । तद्नुसार यह तनकी वादीगण के विरूद्ध तय पायी जाती है ।

3. तनकी नं0 03 :– **आया प्रतिवादीगण उक्त आराजी उनके पूर्वजों के समय से खातेदार जो आज भी रिकॉर्डेड खातेदार हैं । प्रतिवादीगण व उनके पूर्वजों का उक्त आराजी पर लगभग 100 वर्षों से भी अधिक समय से निर्बाध कब्जा चला आ रहा है** :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है । वादग्रस्त आराजी प्रदर्श– 2 और 3 के अनुसार मूर्ति मंदिर के खाते की है और मूर्ति मंदिर के खाते की आराजी पर यदि किसी व्यक्ति का कब्जा होता है तो वह मूर्ति मंदिर की ओर से ही माना जाता है क्योंकि मूर्ति मंदिर शास्वत नाबालिग होते हैं । प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के प्रदर्श– 2 और 3 के अनुसार खातेदार नहीं थे । इस प्रकार यह तनकी प्रतिवादीगण के खिलाफ तय पायी जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से इस तनकी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किया है ।

4. तनकी नं0 04 :– **आया प्रतिवादीगण निरन्तर खातेदार बने रहने के अधिकारी हैं** :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है । तनकी नम्बर 03 प्रतिवोदीगण के खिलाफ तय पायी गई है । सेटलमेंट विभाग को मूर्ति मंदिर की खाते की आराजी को प्रतिवादीगण के खाते दर्ज करने का अधिकार नहीं है । तद्नुसार यह तनकी प्रतिवादीगण के खिलाफ तय की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से इसे प्रतिवादीगण के खिलाफ तय किया है ।

5. तनकी नं0 05 :– **आया 02 लगायत 07 वादीगण एवं ग्राम वासियान ग्राम महराना में मूर्ति मंदिर श्री मुरलीधर जी महाराज के संरक्षक एवं व्यवस्थापक प्रतिनिधि हैं** :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है । वादीगण के द्वारा स्वयं को मूर्ति मंदिर का संरक्षक एवं व्यवस्थापक बताया गया है परन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है कि उनको देवस्थान विभाग अथवा राज्य सरकार द्वारा इसके लिए अधिकृत किया गया हो अथवा उनका कोई पंजीकृत ट्रस्ट हो । अतः यह तनकी वादीगण के खिलाफ तय पायी जाती है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तनकी को वादीगण के पक्ष में तय करने में त्रुटि की है ।

6. तनकी नं0 06 :– **आया जमाबन्दी संवत् 2020–2023 के अनुसार विवादित कृषि भूमि मंदिर श्री मुरलीधर महाराज स्थान दे हके नाम चलती रही** :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है । पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात प्रदर्श– 2 और 3 के अनुसार वादग्रस्त आराजी मूर्ति मंदिर के खाते की थी । तद्नुसार यह तनकी वादीगण के पक्ष में तय पायी जाती है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से इसे वादीगण के पक्ष में तय किया है ।

7. तनकी नं0 07 :– **आया संवत् 2028–2047 में सेटलमेंट के दौरान भू–प्रबन्ध अधिकारियों ने अवैध एवं गैर कानूनी रूप से मूर्ति मंदिर की भूमि मन्ना वल्द रामचन्द्र के नाम दर्ज किये जाने का कोई नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया गया** :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है । भू–प्रबन्ध विभाग के द्वारा सम्वत् 2028–2047, नकल जमाबन्दी प्रदर्श–8 में वादग्रस्त आराजी को गलत रूप से मन्ना लाल वल्द रामचन्द्र के खाते में दर्ज किया है । सेटलमेंट विभाग को इस प्रकार का इन्द्राज दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है । इस प्रकार यह तनकी वादीगण के पक्ष में तय पायी जाती है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तनकी को विधिक रूप से वादीगण के पक्ष में तय किया है ।

8. तनकी नं0 08 :– **आया मंदिर मूर्ति की सेवा पूजा तेल भोग आदि का कार्य वादीगण ग्राम वासियों द्वारा किया जा रहा है** :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है । वादीगण के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिसमें कि मूर्ति मंदिर की सेवा एवं व्यवस्था के लिए कोई ट्रस्ट कायम किया गया हो और सेवा पूजा के लिए कुछ पदाधिकारियों को अधिकृत किया गया हो, देवस्थान विभाग का कोई आदेश भी इस क्रम में पेश नहीं किया है । इस कारण यह तनकी वादीगण के खिलाफ तय पायी गई है ।

अधीनस्थ न्यायालय ने इस तनकी को वादीगण के पक्ष में तय करने में विधिक त्रुटि की है।

9. तनकी नं0 09 :– **आया विवादित भूमि के वादीगण कम 2 लगायत 7 एवं ग्रामवासियों को अपने कब्जे में लेने का अधिकार है एवं इन्द्राज दुरूस्त करने का अधिकार है** :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है । वादीगण कम 2 लगायत 7 के द्वारा कोई ट्रस्ट के दस्तावेज अथवा देवस्थान का कोई आदेश पेश नहीं किया है । इस कारण वे वादग्रस्त आराजी का कब्जा लेने के अधिकार नहीं है वरन् राज्य सरकार के निर्देशानुसार उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी मूर्ति मंदिर की आराजी पर कब्जा लेने के अधिकारी हैं । त्रुटिपूर्ण रूप से सेटलमेंट विभाग के द्वारा आराजी प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज की गई थी जिसका इन्द्राज दुरूस्त वादीगण मूर्ति मंदिर के नेक्स्ट फ्रेण्ड की हैसियत से करवाने के अधिकारी हैं । तद्नुसार यह तनकी आंशिक रूप से वादीगण के पक्ष में तय पायी जाती है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तनकी को पूर्ण रूप से वादीगण के पक्ष में तय करने में त्रुटि की है ।

10. तनकी नं0 10 :– **आया वादीगण कम 2 लगायत 7 को मूर्ति मंदिर मुरलीधर महाराज की ओर से वाद लाने का अधिकार है और वह उक्त मंदिर के व्यवस्थापक व प्रतिनिधि हैं** :– मूर्ति मंदिर की ओर से ग्रामवासी नेक्स्ट फ्रेण्ड की हैसियत से दावा लाने के अधिकारी हैं परन्तु वे मंदिर के व्यवस्थापक नहीं हैं । तद्नुसार यह तनकी आंशिक रूप से वादीगण के पक्ष में तय पायी है । अधीनस्थ न्यायालय ने इसे वादीगण के पक्ष में तय कर त्रुटि की है ।

11. तनकी नं0 11 :– **आया वाद अवधि मध्य है** :– अधीनस्थ न्यायालय ने इस तनकी को वादीगण के पक्ष में विधिक रूप से तय किया है ।

12. तनकी नं0 12 :– **अनुतोष** :– तनकी नं0 01, 06, 07 वादीगण के पक्ष में पायी गई हैं । तनकी नम्बर 02, 05, 08 वादीगण के खिलाफ तय पायी गई हैं । तनकी नम्बर 03, 04 प्रतिवादीगण के खिलाफ तय पायी गई है । तनकी नम्बर 09 व 10 आंशिक रूप से वादी के पक्ष में तय पायी गई है । तनकी नम्बर 11 वादीगण के पक्ष में तय पायी गई हैं । तद्नुसार दावा वादीगण आंशिक रूप से डिक्री होने योग्य है ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.2018 में इस प्रकार से संशोधित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 208 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 209 रकबा 09 बीघा 19 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 623 रकबा 08 बिस्वा का खातेदार मूर्ति मंदिर श्री मुरलीधर जी महाराज ग्राम महराना को घोषित किया जाता है । मुताबिक प्रदर्श– 12 के अनुसार खसरा नम्बर 208 और 209 में खसरा नम्बर 199, 200, 205 और 240 के साथ केचमेट किया गया और इसमें 02 बीघा 05 बिस्वा आराजी ड्रेन में निकलने के बाद नया खसरा नम्बर 1162 और 1239 कायम किये गये हैं जिनका रकबा 38 बीघा 14 बिस्वा कायम किया गया है । खसरा नम्बर 623 का रकबा यथावत है । खसरा नम्बर 208 का रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा है जबकि प्रदर्श– 12 में इसका रकबा 14 बीघा 09 बिस्वा ही अंकित किया गया है । इस प्रकार खसरा नम्बर 209 रकबा 09 बीघा 19 बिस्वा है जबकि प्रदर्श–12 में इसका रकबा 07 बीघा 19 बिस्वा

दर्ज किया गया है । ऐसी स्थिति में केचमेंट के उपरान्त खसरा नम्बर 1162 और 1239 में धौरे के रकबे को कम करने के उपरान्त खसरा नम्बर 208 और 209 का जो रकबा शामिल किया गया है उसको वादी मूर्ति मंदिर के खाते में दर्ज किया जावे । साथ ही राज्य सरकार प्रशासनिक सुधार (अनु–3) विभाग के आदेश कमांक प.6(17)प्र.सु./अनु.3/2002 जयपुर दिनांक 07.12.2009 के अनुसार उपखण्ड अधिकारी तालेडा की अध्यक्षता में गठित कमेटी को निर्देशित किया जाता है कि मूर्ति मंदिर के खाते की आराजी को कब्जे में लेकर नियमानुसार काश्त की व्यवस्था की जावे और रिसीवर की राशि जो तहसील कार्यालय में जमा है इस राशि को भी इसी कमेटी को सुपुर्द किया जावे ।

16. निर्णय आज दिनांक 16.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/7/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/601

1. रामनिवास
2. बाबूलाल
3. रामकिशन
4. सत्यनारायण पिसरान भंवर लाल जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम महराणा तहसील व जिला बून्दी ।
5. श्रीमती इन्द्रा बाई पुत्री श्री भंवर लाल पत्नी श्री रघुवीर जी जाति ब्राह्मण निवासी सावनभादों तहसील व जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. मूर्ति मंदिर श्री मुरलीधर जी (कृष्ण भगवान) महाराज ग्राम महराणा तहसील व जिला बून्दी जरिये तथाकथित संरक्षक तथाकथित व्यवस्थापक प्रतिनिधि ग्रामवासियान महराणा तहसील व जिला बून्दी ।
2. लक्ष्मीनारायण आत्मज ऊदा जी जाति मीणा निवासी ग्राम महराणा तहसील व जिला बून्दी ।
3. बिरधी लाल आत्मज गोविन्दा जाति मीणा निवासी ग्राम महराणा तहसील व जिला बून्दी।
4. रामचन्द्र आत्मज कालू जी जाति मीणा निवासी ग्राम महराणा तहसील व जिला बून्दी।
5. मोहन लाल आत्मज राधा जी जाति मीणा निवासी ग्राम महराणा तहसील व जिला बून्दी।
6. माधोलाल आत्मज गेन्दा लाल जाति मीणा निवासी ग्राम महराणा तहसील व जिला बून्दी
7. सूरज मल आत्मज नाथू जी जाति प्रजापत निवासी ग्राम महराणा तहसील व जिला बून्दी
8. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, बून्दी जिला बून्दी ।
9. *यूनाइटेड कमर्शिल बैंक कोटा जरिये मैनेजर साहब, कोटा ।*

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10.2018 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी ।

ख्याः 13/दावा/2010

1. मूर्ति मंदिर श्री मुरलीधर जी (कृष्ण भगवान) महाराज ग्राम महराणा तहसील व जिला बून्दी जरिये तथाकथित संरक्षक तथाकथित व्यवस्थापक प्रतिनिधि ग्रामवासियान महराणा तहसील व जिला बून्दी ।
2. लक्ष्मीनारायण आत्मज ऊदा जी जाति मीणा निवासी ग्राम महराणा तहसील व जिला बून्दी ।
3. बिरधी लाल आत्मज गोविन्दा जाति मीणा निवासी ग्राम महराणा तहसील व जिला बून्दी।
4. रामचन्द्र आत्मज कालू जी जाति मीणा निवासी ग्राम महराणा तहसील व जिला बून्दी।
5. मोहन लाल आत्मज राधा जी जाति मीणा निवासी ग्राम महराणा तहसील व जिला बून्दी।
6. माधोलाल आत्मज गेन्दा लाल जाति मीणा निवासी ग्राम महराणा तहसील व जिला बून्दी
7. सूरज मल आत्मज नाथू जी जाति प्रजापत निवासी ग्राम महराणा तहसील व जिला बून्दी

——वादी

बनाम

1. रामनिवास
2. बाबूलाल
3. रामकिशन
4. सत्यनारायण पिसरान भंवर लाल जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम महराणा तहसील व जिला बून्दी ।
5. श्रीमती इन्द्रा बाई पुत्री श्री भंवर लाल पत्नी श्री रघुवीर जी जाति ब्राह्मण निवासी सावनभादों तहसील व जिला बून्दी ।
6. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, बून्दी जिला बून्दी ।
7. यूनाइटेड कमर्शिल बैंक कोटा जरिये मैनेजर साहब, कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10.2018 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

यह अपील तारीख 16.07.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री नरेन्द्र गुप्ता एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री अशोक गुप्ता के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.2018 में इस प्रकार से संशोधित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 208 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 209 रकबा 09 बीघा 19 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 623 रकबा 08 बिस्वा का खातेदार मूर्ति मंदिर श्री मुरलीधर जी महाराज ग्राम महराना को घोषित किया जाता है । मुताबिक प्रदर्श–12 के अनुसार खसरा नम्बर 208 और 209 में खसरा नम्बर 199, 200, 205 और 240 के साथ केचमेट किया गया और इसमें 02 बीघा 05 बिस्वा आराजी ड्रेन में निकलने के बाद नया खसरा नम्बर 1162 और 1239 कायम किये गये हैं जिनका रकबा 38 बीघा 14 बिस्वा कायम किया गया है । खसरा नम्बर 623 का रकबा यथावत है । खसरा नम्बर 208 का रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा है जबकि प्रदर्श– 12 में इसका रकबा 14 बीघा 09 बिस्वा ही अंकित किया गया है । इस प्रकार खसरा नम्बर 209 रकबा 09 बीघा 19 बिस्वा है जबकि प्रदर्श–12 में इसका रकबा 07 बीघा 19 बिस्वा दर्ज किया गया है । ऐसी स्थिति में केचमेंट के उपरान्त खसरा नम्बर 1162 और 1239 में धौरे के रकबे को कम करने के उपरान्त खसरा नम्बर 208 और 209 का जो रकबा शामिल किया गया है उसको वादी मूर्ति मंदिर के खाते में दर्ज किया जावे । साथ ही राज्य सरकार प्रशासनिक सुधार (अनु–3) विभाग के आदेश क्रमांक प.6(17)प्र.सु./अनु.3/2002 जयपुर दिनांक 07.12.2009 के अनुसार उपखण्ड अधिकारी तालेडा की अध्यक्षता में गठित कमेटी को निर्देशित किया जाता है कि मूर्ति मंदिर के खाते की आराजी को कब्जे में लेकर नियमानुसार काश्त की व्यवस्था की जावे और रिसीवर की राशि जो तहसील कार्यालय में जमा है इस राशि को भी इसी कमेटी को सुपुर्द किया जावे ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 16.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

16/7/19

मुहर

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा